[2021] 14 एस. सी. आर 736

वी. नागराजन

वी.

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3327)

22 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और B.V.NAGARATHNA, जेजे।]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 61 (1) , 238 , 238 ए-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस. 12 (2) , 29 (2) – कंपनी अधिनियम 2013 एस। 420 (3) – राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 - आर. 50-राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नियम - आर. 22-एन. सी. एल. टी. आदेश डी. टी. डी. 31.12.19 अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया परिसमापन कार्यवाही, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए-अपीलकर्ता ने अपील दायर की, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि अपील पर सीमा द्वारा वर्जित किया गया थाः आई. बी. सी. की विशेष प्रकृति के कारण, पीड़ित पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित परिश्रम करे और आर. की आवश्यकताओं के अनुरूप, उस आदेश की घोषणा पर एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करे जिस पर वह हमला करना चाहता है। 22 (2) , एनसीएलएटी के नियम - धारा 12 (2), सीमा अधिनियम अपील की गई डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को हटाने की अनुमति देता है।

खिलाफ-आई. बी. सी. के तहत एक आदेश से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक मुफ्त प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने के लिए खुला नहीं है। s.420 (3),

कंपनी अधिनियम, 2013 आर/डब्ल्यू आर। 50 एन. सी. एल. टी. की और सीमा को चलने से रोकना-वेबसाइट पर आदेश (12.03.20) अपलोड करने की तारीख पर निर्भर, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया-यू/के तहत अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि एन. सी. एल. टी. डी. के आदेश के विरुद्ध धारा 61 (1)।

31.12.19 , यू/निर्धारित तीस दिन की अवधि को देखते हुए 30.01.20 पर समाप्त हो गया धारा 61 (2)-निर्धारित पंद्रह दिनों की बाहरी सीमा को देखते हुए देरी की माफी के लिए कोई भी गुंजाइश 14.02.20 पर समाप्त हो गई।

एस के परंतुक के तहत। 61 (2) - एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा पर अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - धारा 61 (1)-एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि-आयोजितः वादी

तीस दिनों के भीतर अपनी अपील दायर करनी होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है।

पर्याप्त कारण दिखाने पर पंद्रह दिनों की अवधि तक, और उससे अधिक नहीं-न्यायालय को सीमा के प्रावधान वाले विशेष कानूनों में वैधानिक निर्देशों से परे देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - धारा 61 (2)-कंपनी अधिनियम 2013 - s.420 (3)-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016

- आर. 50-आयोजितः s.420 (3), कंपनी अधिनियम आर/डब्ल्यूआर। 50 , एन. सी. एल. टी. नियम एक पक्ष को वैधानिक रूप से अनिवार्य मुफ्त प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से सीमा की गणना करने में सक्षम बनाता है, बिना अपनी खुद की फाइल किए।

हालांकि आवेदन, सगुफा अहमद बनाम। ऊपरी असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि एक मुफ्त प्रतिलिपि का वैधानिक आदेश

यह वादियों को दो बार काटने में सक्षम नहीं बनाता है जहां वे वादी के आवेदन पर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने या रजिस्ट्री से मुफ्त प्रति के रूप में प्राप्त होने पर सीमा की गणना कर सकते हैं-जो भी बाद में हो।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नियम-आर. 14 , 22 – एन. सी. एल. ए. टी. को आई. बी. सी. अपील के तहत पारित आदेश-प्रमाणित प्रति का अनुलग्नक, यदि अनिवार्य हो -

आयोजित किया गयाः एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के आर. 22 (2) में प्रमाणित प्रति को एक अपील के साथ संलग्न करने का आदेश दिया गया है, जो आई. बी. सी. के तहत वादियों को बाध्य करना जारी रखता है, हालांकि यह सच है कि न्यायाधिकरण, और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी, पर्याप्त न्याय के हित में इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता के अनुपालन से पक्षों को छूट देने का विकल्प चुन सकता है, जैसा कि आर. 14 एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के अनुसार, विवेकाधीन छूट एक स्वचालित अपवाद के रूप में कार्य नहीं करती है जहां वादी अपनी शिकायत के समय पर समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं-कंपनी अधिनियम, 2013 - s.420 (3)।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 61 (1) , (2)

कम्पनी अधिनियम 2013 - s.421 (3)-आयोजितः एसएस। 61 (1) और आई. बी. सी. के (2) जानबूझकर से गणना की जा रही सीमा की आवश्यकता को छोड़ देते हैं

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - एस. 9-मुकदमा दायर करने का अधिकार और अपील दायर करने का अधिकार-चर्चा के बीच अंतर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 60 , 61 (1) , (2) , 62 और 63.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - धारा 61 (2)-सीमा अधिनियम, 1963। 12 - आयोजित किया गयाः एस. 12 गणना पर मार्गदर्शन प्रदान करता है सीमा की अवधि और [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए एक पक्ष द्वारा लिए गए समय को शामिल नहीं करता है।

आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करना जो वह अपील करना चाहता है-हालाँकि, स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा एक प्रति के लिए आवेदन दायर करने से पहले आदेश तैयार करने में अदालत द्वारा लिया गया समय, सीमा की गणना से बाहर नहीं है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण नियम-rr. 14 , 22

आयोजित किया गयाः यह अच्छी तरह से सच हो सकता है कि एक के साथ अपील दायर करने पर छूट

प्रमाणित प्रतियां अक्सर न्यायिक निर्धारण के उद्देश्यों के लिए दी जाती हैं, वे एक आवेदक को अनुपालन को समाप्त करने और आर प्रदान करने का स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। 22 (2) , एनसीएलएटी के नियम

नासमझ।

शब्द और वाक्यांश "उस तारीख से जिस दिन की एक प्रति

न्यायाधिकरण का आदेश पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है "

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की अनुपस्थिति - एस. 61 (1)

–

कम्पनी अधिनियम 2013-ss. 420 (3) , 421 (3) – आयोजित किया गयाः एस के बीच अंतर। 421 (3) , कंपनी अधिनियम और एस। 61 (2) , आई. बी. सी. बाद वाले में उपरोक्त शब्दों की अनुपस्थिति में है-इन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं हो सकती है

केवल एक चूक के रूप में माना जाता है जिसे एक मुफ्त प्रति के अधिकार के साथ पूरक किया जा सकता है s.420 (3) आर/डब्ल्यूआर। 50 गणना सीमा के उद्देश्यों के लिए एन. सी. एल. टी. नियमों का।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़नाः 1.1 आई. बी. सी. एक पूर्ण कोड है। इसमें एक

जैसा कि धारा 238 में कहा गया है, प्रबल प्रभाव। सीमा के विशिष्ट प्रश्न पर, आई. बी. सी. की धारा 238-ए सीमा अधिनियम को उस हद तक लागू करती है जब तक यह लागू होता है। आई. बी. सी. की उपरोक्त धाराओं को सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के मुख्य पहलू तीन गुना हैं-(i) किसी विशेष कानून या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का निर्धारण सीमा अधिनियम के तहत अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग हो सकता है; (ii) ऐसे मामले में, विशेष या स्थानीय कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को सीमा अधिनियम की धारा 3 के उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि माना जाएगा; और (iii) सीमा अधिनियम की धारा 3 तदनुसार लागू होगी। [पैरा 9] [752-एफ; 753-ई-एफ]

1.2 एक अपील कानून का एक प्राणी है, इसलिए एक है

मुकदमा दायर करने के अधिकार और अपील दायर करने के अधिकार के बीच मौलिक अंतर। सिविल संहिता की धारा 9 के संदर्भ में वी. नागराजन बनाम.

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

प्रक्रिया, 1908, नागरिक प्रकृति का मुकदमा लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है, जब तक कि मुकदमा क़ानून द्वारा वर्जित न हो। दूसरी ओर, एक अपील क़ानून की एक रचना है और उसके पास कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। आई. बी. सी. ने अध्याय VI में एक व्यापक विवाद समाधान प्रक्रिया की परिकल्पना की है। एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. की धारा 60 के तहत अधिकार प्राप्त 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' है।

आई. बी. सी. के तहत दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही के संबंध में किसी भी कार्यवाही पर विचार करने की अधिकारिता। आई. बी. सी. की धारा 61 (1) के तहत अपीलीय प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी. को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। एन. सी. एल. ए. टी. का एक आदेश धारा 62 के तहत उच्चतम न्यायालय में कानून के एक प्रश्न पर अपील के अधीन है। दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

आई. बी. सी. की धारा 63 द्वारा स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। धारा 61 (2) में विशेष रूप से तीस दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान है, जिसे अधिकतम पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

देरी के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन। कंपनी अधिनियम की धारा 420 एन. सी. एल. टी. के आदेशों से संबंधित है और धारा 420 (3) के तहत प्रत्येक पक्ष को एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) की अवधि निर्धारित करती है -

एन. सी. एल. ए. टी. में अपील दायर करने की सीमा और यह निर्दिष्ट करता है कि गणना उस तारीख से की जाएगी जब एक प्रति "पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी"। एन. सी. एल. टी. नियमों का नियम 50 कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) को लागू करता है, जिसमें एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री को एक मुफ्त प्रमाणित प्रति साझा करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

पार्टियों को आदेश दें। [पारस 11,13] [754-ए-डी; 755-एफ-एच; 756-जी]

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स 2019 (11) एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794 -

पर भरोसा किया।

1.3 एक ऐसे क्षेत्र में जो एक विशेष कानून द्वारा कवर नहीं किया गया है जो एन. सी. एल. टी. को अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करता है, के लिए सामान्य सिद्धांत

के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सीमा की गणना एन. सी. एल. टी. कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के वैधानिक अधिदेश द्वारा शासित है जिसे एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पढ़ा जाता है।

जो किसी पक्ष को वैधानिक रूप से अनिवार्य मुफ्त प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से सीमा की गणना करने में सक्षम बनाता है, बिना अपना आवेदन दायर किए। हालाँकि, सगुफा अहमद में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट करता है कि [2021] 14 एस. सी. आर. का वैधानिक अधिदेश।

मुक्त प्रतिलिपि वादियों को सेब पर दो काटने में सक्षम बनाने के लिए नहीं है जहां वे किसी भी समय सीमा की गणना कर सकते हैं

प्रमाणित प्रति वादी के आवेदन पर प्राप्त की जाती है या रजिस्ट्री से एक मुफ्त प्रति के रूप में प्राप्त की जाती है-जो भी बाद में हो। [पैरा 14] [758-बी-डी]

सगुफा अहमद बनाम। अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 (2) एस. सी. सी. 317: [2020] 9 जे. टी. 429-पर भरोसा किया।

1.4 आई. बी. सी. अपने आप में एक पूर्ण कोड है और अन्य कानूनों के अनुप्रयोग में उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगतियों को दूर करता है। आई. बी. सी. की धारा 61, एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होती है-"कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद" जब एक पीड़ित पक्ष को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है।

सीमा की निर्धारित अवधि। के बीच उल्लेखनीय अंतर

एक मुफ्त प्रति की प्रतीक्षा करना जो अनिश्चित काल में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, गणना के उद्देश्यों के लिए "उस तारीख से जिस दिन आदेश उपलब्ध कराया गया है" शब्दों को हटा दिया गया है आई. बी. सी. की धारा 61 (2) में सीमा, वी. नागराजन बनाम का एक सुसंगत संकेत है।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

दलों को सक्रिय होने के लिए प्रेरित करने के लिए विधायिका का इरादा

और समय पर समाधान की सुविधा प्रदान करें। [पैरा 15,17] [758-ई-जी; 761-एफ-एच; 762-ए-बी]

1.5 अपील दायर करने के लिए प्रमाणित प्रति के प्रश्न पर

आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) में कहा गया है कि 'विवादित आदेश' की प्रमाणित प्रति के साथ एक अपील दायर की जानी चाहिए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्ष स्वचालित रूप से अपने साथ वितरित कर सकते हैं

अपील दायर करने के लिए आवेदन करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का दायित्व। एक बार आवेदन दायर किए जाने के बाद, प्रमाणित प्रति की प्राप्ति में किसी भी देरी की परिकल्पना विधायिका द्वारा की गई है और वादी के अपील करने के अधिकार पर कोई पूर्वाग्रह न पैदा करने के लिए विधिवत रूप से बाहर रखा गया है। सीमा अधिनियम की धारा 12 गणना पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

सीमा की अवधि और किसी पक्ष द्वारा उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए लिए गए समय को बाहर करता है जिसकी वह अपील करना चाहता है। हालांकि, स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा एक प्रति के लिए आवेदन दायर करने से पहले आदेश तैयार करने में अदालत द्वारा लिया गया समय, सीमा की गणना से बाहर नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 12 का महत्व और इसका स्पष्टीकरण किसी पक्ष को आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी सौंपना है। अपील दायर करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सीमा अवधि की समाप्ति से पहले एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करे, जिस पर एक प्रति प्राप्त करने के लिए "आवश्यक समय" को बाहर रखा जाना है। हालाँकि, प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने से पहले डिक्री या आदेश तैयार करने के लिए अदालत द्वारा लिए गए समय को बाहर नहीं किया जा सकता है। यदि प्रमाणित प्रति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो कोई बहिष्करण नहीं हो सकता है। वास्तव में, प्रावधान का स्पष्टीकरण कानूनी स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक है कि अदालत द्वारा डिक्री या आदेश तैयार करने के लिए जो समय लिया जाता है, उसे आवेदन से पहले बाहर नहीं किया जा सकता है।

एक प्रति प्राप्त की जाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के तहत एक मुफ्त प्रति प्राप्त करने का अधिकार अपीलार्थी पर एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के दायित्व को समाप्त कर देता है। एक आवेदन। अपीलार्थी ने आग्रह किया है कि एन. सी. एल. ए. टी. का नियम 14

नियम एन. सी. एल. ए. टी. को हित में किसी भी नियम की आवश्यकता के अनुपालन से पार्टियों को छूट देने का अधिकार देते हैं।

पर्याप्त न्याय, जिसका प्रयोग आम तौर पर एक प्रमाणित प्रति के बदले डाउनलोड की गई प्रति की अनुमति देने के पक्ष में किया गया है।

यह सच हो सकता है कि प्रमाणित प्रति के साथ अपील दायर करने पर छूट अक्सर न्यायिक निर्धारण के उद्देश्यों के लिए दी जाती है, वे एक आवेदक को अनुपालन को समाप्त करने और एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) को निरर्थक बनाने का स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दाखिल करने का कार्य केवल सीमा की गणना के लिए एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि पीड़ित पक्ष के परिश्रम का भी संकेत है।

समय पर मुकदमा। [पैरा 18,19] [762-बी, ई-एफ; 763-बी-डी; 764-ए-बी]

1.6 अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का 23 मार्च 2020 का स्वतः संज्ञान आदेश, 15 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मार्च 2020 में सीमा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया, जो 8 जून 2020 को दायर अपील को सीमा के भीतर प्रस्तुत करता है। इस न्यायालय ने केवल उन मामलों में कार्यवाही में लागू सीमा की अवधि बढ़ाई थी, जहां ऐसी अवधि 15 मार्च 2020 से पहले समाप्त नहीं हुई थी। इस मामले में, धारा 61 (1) और 61 (2) की विशिष्ट भाषा के कारण, यह स्पष्ट है कि आदेश की घोषणा के बाद सीमा शुरू हो गई थी और न्यायालय द्वारा यह प्रदान करने के लिए समय लिया गया थाः

यदि अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया होता, तो प्रमाणित प्रति वाले अपीलार्थी को बाहर रखा जाता, जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) में स्पष्ट किया गया है। 12 मार्च 2020 को अपलोड किए गए एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के असंभव कार्य के बारे में अपीलार्थी का आरोप है कि कानून का निर्माण बेतुका नहीं है। हालाँकि, कानून का अधिदेश अपीलार्थी पर एक बार एन. सी. एल. टी. द्वारा 31 को आदेश घोषित किए जाने के बाद प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का दायित्व अधिरोपित करना है।

दिसंबर 2019, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के आधार पर। न्यायालय को सीमितता के प्रावधान वाले विशेष कानूनों में वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन से परे देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है। [पैरा 20] [764-सी-जी; 765-ए-बी] 1.7 दो मुद्दों का जवाब-(i) सीमा अवधि की गणना करने के लिए समय कब चलेगा

आई. बी. सी.; और (ii) एक प्रमाणित प्रति का अनिवार्य विलय है।

आई. बी. सी. के तहत पारित आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. में अपील के लिए-लागू कानूनी व्यवस्था की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर आधारित होना चाहिए, यह देखते हुए कि आई. बी. सी. अपने आप में एक संहिता है और वी. नागराजन बनाम।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) की आवश्यकताओं के अनुरूप आदेश की घोषणा। सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) उस डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को हटाने की अनुमति देती है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। आई. बी. सी. के तहत एक आदेश से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह खुला नहीं है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 420 (3) के तहत एक मुफ्त प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की प्रतीक्षा करे जिसे एन. सी. एल. टी. के नियम 50 के साथ पढ़ा जाए और सीमा को चलने से रोका जाए। इस तरह से स्वीकार करें निर्माण आई. बी. सी. के समयबद्ध ढांचे को बिगाड़ देगा। वादी को तीस दिनों के भीतर अपनी अपील दायर करनी होती है, जिसे पंद्रह दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और पेश करने पर इससे अधिक नहीं।

पर्याप्त कारण। प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या का उपयोग किसी ऐसे कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसका किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रश्न पर, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) में प्रमाणित प्रति को अपील के साथ संलग्न करने का आदेश दिया गया है, जो वादियों को आई. बी. सी. के तहत बाध्य करता है। हालांकि यह सच है कि न्यायाधिकरण और यहां तक कि यह न्यायालय भी पक्षकारों को इससे छूट देने का विकल्प चुन सकता है।

पर्याप्त न्याय के हित में इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन, जैसा कि एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 14 में दोहराया गया है, विवेकाधीन छूट एक स्वचालित अपवाद के रूप में कार्य नहीं करती है जहां वादी अपनी शिकायत का समय पर समाधान करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। अपीलार्थी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने में विफल रहा और उसने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपील को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।

सीमा द्वारा प्रतिबंधित। [पैरा 21,22] [765-सी-जी; 766-ए-सी]

एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड के लेनदारों की समिति 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 707; मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड v. किरासा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एस. सी. आर. 1006; कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 204-पर निर्भर था।

1] 14 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनः में - सीमा विस्तार के लिए संज्ञान (2020)

19 एस. सी. सी. 10; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता

(2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275; प्रा. निर्देशक

आय कर का सामान्य v. स्पार्टेक सिरेमिक इंडिया लिमिटेड

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 289; गरिकापति वीराया

वी. सुब्बैया चौधरी, आकाशवाणी 1957 एससी 540; गंगा बाई

वी. विजय कुमार (1974) 2 एस. सी. सी. 393; अनंत मिल्स

कंपनी लिमिटेड v. गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1975 एससी

1234 ; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, (2018)

1 एस. सी. सी. 407; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित

गुप्ता, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 194; प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अपील

(ए. टी.) (दिवाला) 2017 का 223 (एन. सी. एल. ए. टी., 26 मार्च 2018) ; भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी,

(2001) 8 एस. सी. सी. 470 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 619; सिंह

उद्यम बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

जमशेदपुर (2008) 3 एस. सी. सी. 70: [2007] 13 एससीआर 952;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। केंद्रीय

विद्युत नियामक आयोग, (2010) 5 एस. सी. सी. 23: [2010] 4 एस. सी. आर. 680; बंगाल केमिस्ट और ड्रगिस्ट

एसोसिएशन वी। कल्याण चौधरी, (2018) 3 एससीसी 41:

[2018] 2 एस. सी. आर. 1099-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 12 एससीआर 794

पैरा 5 (ई)

उस पर भरोसा करें

[2017] 10 एससीआर 1006

पैरा 6 (जे)

उस पर भरोसा करें

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2007] 13 एससीआर 952

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2010] 4 एससीआर 680

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 1099

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.3327

2020 .

राष्ट्र के 17.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के कंपनी ऐप (एटी) (आईएनएस) No.561 में नई दिल्ली में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

वी. नागराजन बनाम एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अतुल शंकर माथुर, सुश्री प्रिया

सिंह, मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए अमलान कुमार, नीरज चौधरी, सुश्री पूजा धर, अभिजीत सेनगुप्ता, राम लाल रॉय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए धाराओं * में विभाजित किया गया है।

..... 2

ए.

तथ्य।

बी.

दलों की प्रस्तुतियाँ।

..... 5

B. 1 अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ।

.....5

बी. 2 प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ।

9

सी विश्लेषण..

..... 12

डी.

निष्कर्ष।

..... 28

एक तथ्य

1. यह अपील दिवाला की धारा 62 के तहत आती है और

दिवालियापन संहिता 2016 1 राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली 2 दिनांक 13 जुलाई 2020 के फैसले से 3. एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को सीमितता द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चेन्नई के 31 दिसंबर 2019 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें अपीलार्थी के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

परिसमापन कार्यवाही में विविध आवेदन, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 10 द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करना।

2. सेथर लिमिटेड ", एक निगमित इकाई जो इंजीनियरिंग में लगी हुई है।

और परियोजना परामर्श, परिसमापन के दौर से गुजर रहा है। अपीलार्थी को इसके अंतरिम समाधान पेशेवर और समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। समाधान के असफल प्रयास के बाद, अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था 25 अप्रैल 2018 को इसके परिसमापक के रूप में। अपीलार्थी ने तरजीही और कम मूल्यांकन से बचने के लिए आई. बी. सी. की धारा 43 और 45 के तहत कार्यवाही शुरू की।

* एड। ध्यान दें: पृष्ठ संख्या। संबंधित धाराओं के साथ उल्लिखित मूल निर्णय के अनुसार हैं।

1 " आईबीसी "

2 " NCLAT "

3 2020 का कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) 561 4 " एन. सी. एल. टी. "5 एम. ए. 906 ऑफ 2019 इन सी. ए./38/आई. बी./2018 (एन. सी. एल. टी., चेन्नई बेंच) 6" कॉर्पोरेट देनदार "

1 सीए/38/आईबी/2018 (एनसीएलटी, चेन्नई बेंच)

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15 मार्च 2011 के अनुबंध के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1-4 के पक्ष में निगमित देनदार का लेनदेन। प्रतिवादी संख्या 10 के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई थी। अपीलार्थी दावा करता है कि बाद में उसे पता चला कि एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) और उसकी सहायक कंपनी-एसकेएस पावर जेनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 10) ने कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तकों के साथ सांठगांठ की थी और बाद वाले को केवल 4.58 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले निपटारे में प्रवेश करके 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। अपीलार्थी यह भी आरोप लगाता है कि ये लेन-देन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चल रही जाँच का हिस्सा हैं। प्रत्यर्थी संख्या 10, कथित रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 के कहने पर, अपनी इंजीनियरिंग सेवाओं का प्रदर्शन करने में विफलता के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा जारी कुछ बैंक गारंटी का आह्वान करने की मांग की। अपीलार्थी ने परिसमापन कार्यवाही समाप्त होने तक इस प्रदर्शन गारंटी के आह्वान का विरोध करने के लिए एक विविध आवेदन दायर किया।

3. 31 दिसंबर 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने माना कि प्रदर्शन गारंटी 'सुरक्षा ब्याज' का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि आई. बी. सी. की धारा 3 (31) के तहत परिभाषित किया गया है और परिसमापन कार्यवाही पूरी होने तक बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया है जब यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ता का कहना है कि एन. सी. एल. टी. के 31 दिसंबर 2019 के आदेश को यहाँ अपलोड किया गया था।

केवल 12 मार्च 2020 को एन. सी. एल. टी. वेबसाइट की प्रतिलिपि बनाएँ। हालाँकि, अपलोड किए गए आदेश में उस न्यायिक सदस्य का गलत नाम बताया गया था जिसने आदेश पारित किया था। सही आदेश 20 मार्च 2020 को अपलोड किया गया था। संशोधित आदेश को अपलोड किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने एक मुफ्त प्रति जारी होने का इंतजार करने का दावा किया और कथित तौर पर उस पर मुफ्त प्रति की मांग की।

23 मार्च 2020, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के नियम 50 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 20138 की धारा 420 (3) के प्रावधानों के तहत नियम, 2016 9. अपीलार्थी के अनुसार, आज तक मुफ्त प्रति जारी नहीं की गई है। अपीलार्थी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण, आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट के लिए एक आवेदन के साथ 8 जून 2020 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की गई थी क्योंकि यह जारी नहीं की गई थी।

4. एन. सी. एल. ए. टी. का 13 जुलाई 2020 का विवादित आदेश आई. बी. सी. की धारा 61 (2) पर निर्भर करता है जो अपील के लिए एक सीमा अवधि को अनिवार्य करता है।

8 " कंपनी अधिनियम " 9 " एन. सी. एल. टी. नियम "वी. नागराजन बनाम।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि धारा 61 (1) के तहत दायर अपील पर सीमा द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, पंद्रह दिनों के लिए बढ़ाने योग्य तीस दिन होंगे। इसने नोट किया कि तीस दिनों की वैधानिक समय सीमा समाप्त हो गई थी और देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 1010 के नियम 22 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अपील के साथ विवादित आदेश की एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए, जिसे इस मामले में संलग्न नहीं किया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था कि उसे प्रमाणित या मुफ्त प्रति जारी नहीं की गई थी। किसी भी स्थिति में, आई. बी. सी. पंद्रह दिनों तक की देरी को माफ करने के विवेकाधिकार को सीमित करता है, जो इस मामले में बीत चुका था। इसके अलावा, इसने नोट किया कि गुण-दोष पर भी, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था क्योंकि प्रदर्शन गारंटी को स्पष्ट रूप से 'सुरक्षा हित' के दायरे से बाहर रखा गया है जो आईबीसी की धारा 14 के तहत स्थगन के अधीन है। अपीलार्थी ने इसके खिलाफ दीवानी अपील दायर की

सीमाक प्रश्न पर एन. सी. एल. ए. टी. क आदेश।

बी दलों की प्रस्तुतियाँ

B. 1 अपीलार्थी की दलीलें

5. अपीलार्थियों की ओर से श्री आर. सुब्रमण्यन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

यह आदेश एन. सी. एल. टी. द्वारा 31 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था।

अ)

30 मई 2020 को जारी किया गया था। अपीलार्थी ने तुरंत 8 जून 2020 को एक डाउनलोड की गई प्रति के साथ एक अपील दायर की, इस अदालत के 15 मार्च 2020 के स्वतः संज्ञान आदेश पर भरोसा करते हुए सीमा को बढ़ाया और एक मुफ्त प्रमाणित की प्राप्ति की कमी प्रतिलिपि बनाना;

10 " एन. सी. एल. ए. टी. नियम "[2021] 14 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. का आदेश केवल 12 मार्च 2020 को अपलोड किया गया था। इस न्यायालय ने 23 मार्च 2020 के अपने स्वतः संज्ञान आदेश में कोविड-19 महामारी के कारण 15 मार्च 2020 से समय सीमा को रोक दिया था। इसलिए, आदेश प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अपील दायर की गई थी, जो आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत निर्धारित तीस दिन की सीमा अवधि के भीतर है।

एन. सी. एल. ए. टी. नियमों का नियम 22 एक प्रमाणित प्रति अनिवार्य करता है अपील दायर करने का आदेश। हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों का नियम 14 किसी भी नियम के अनुपालन से छूट की अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर डाउनलोड की गई ऑनलाइन प्रति के मामले में आदेश की प्रमाणित प्रति के बदले में दिया जाता है। अपीलार्थी की अपील एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 26 और 27 के तहत दोषपूर्ण नहीं पाई गई क्योंकि प्रमाणित प्रति दाखिल करने की छूट के लिए एक आवेदन विधिवत दायर किया गया था और इसकी अनुमति दी गई थी।

एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) आदेश की एक मुफ्त प्रति को अनिवार्य करती है प्रत्येक पक्ष को जारी किया गया। यह किसी भी पक्ष को उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता को दूर करता है जो वह अपील के माध्यम से आक्षेप करना चाहता है। इसलिए, सीमा की घड़ी के तहत

आई. बी. सी. की धारा 61 उस तारीख से चलती है जब पार्टी को मुफ्त प्रति जारी की जाती है। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

सगुफा अहमद बनाम। अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 1 2 ने कंपनी अधिनियम के तहत एक मामले के संदर्भ में कहा था कि सीमा अवधि केवल उस तारीख से चलती है जिस दिन पीड़ित पक्ष को आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ तक कि प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने में देरी भी सीमा अधिनियम की धारा 12 के लिए स्पष्टीकरण को आकर्षित नहीं करेगी जब एक मुफ्त प्रतिलिपि वैधानिक रूप से अनिवार्य है; कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) और एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर समान रूप से लागू होते हैं और सगुफा अहमद (उपरोक्त) में अनुपात पूरी तरह से लागू होगा। जिस तारीख से "शब्दों की अनुपस्थिति"

न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराई जाती है

सीमा के विस्तार के लिए निर्णय, (2020) 19 एस. सी. सी. 10 (स्वतः संज्ञान) सीसी 317 ("सगुफा अहमद")

गराजन बनाम। एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आई. बी. सी. की धारा 61 (2) में व्यथित व्यक्ति

कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम की धारा 408 के रूप में एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू होगा। के तहत प्राधिकरण का निर्वहन करने के लिए एन. सी. एल. टी. का गठन करता है

कंपनी अधिनियम, और उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत

न्यायिक मंचों के आदेशों पर हमला करने की मांग करने वाले अपीलकर्ता आम तौर पर उनकी वेबसाइट पर उनके ऑर्डर की प्रतियां अपलोड की जाती हैं

प्रमाणित प्रति दाखिल करने और सीमा से छूट

यह केवल ऑनलाइन ऑर्डर अपलोड करने की तारीख से शुरू होता है। एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 14 में छूट की परिकल्पना की गई है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से भी;

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (2) से लागू होती है

अधिनियम केवल वहाँ लागू होगा जहाँ आवेदन के बिना और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए बिना कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। किसी भी स्थिति में, सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) इसमें शामिल नहीं है। आदेश की तारीख से लेकर उसके बनने तक का समय

आई. बी. सी. की धारा 61 में एक सीमा अवधि निर्धारित करना लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया के सिद्धांत के अधीन है जिसमें कहा गया है कि कानून किसी व्यक्ति को एक असंभव कार्य करने के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता है। इस मामले में, अपीलार्थी से 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब आदेश लागू नहीं होता है। उपलब्ध है;

सी. सी. 633 (बी. के. शैक्षिक सेवाएँ)

"[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i)

देरी को माफ करने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं थी।

जब अपीलार्थी ने समय पर अपील की थी और वह वैधानिक रूप से एक निःशुल्क प्रमाणित प्रति का हकदार था। अपीलार्थी एक्टस क्यूरी नेमिनेम के सिद्धांतों द्वारा संरक्षित है।

गंभीरता-किसी भी व्यक्ति को अदालत के एक अधिनियम के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 180 करोड़ रुपये बकाया हो।

जोखिम में है; और

एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा पर कोई तर्क नहीं सुना था।

जे)

अपने आदेशों को सुरक्षित रखने से पहले, और फिर भी मुख्य रूप से सीमा के आधार पर अपील को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया है।

इसके अलावा, जब किसी अपील को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो अदालत गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकती है या इस पर कोई निष्कर्ष निर्धारित नहीं कर सकती है।

इस मामले में जो गुण किए गए हैं।

बी. 2 प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ 6. श्री नीरज किशन कौल, वरिष्ठ वकील जो उनकी ओर से पेश हुए

स्पॉन्डेंट नंबर 10 ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः (क) आई. बी. सी. की धारा 61 अधिनियम के तहत किसी भी आदेश के खिलाफ अपील को 30 दिनों के भीतर दायर करने का आदेश देती है, जिसे अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एन. सी. एल. टी. के 31 दिसंबर, 2019 के आदेश को चुनौती देने की सीमा पंद्रह दिन के हिसाब के बाद भी 15 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई।

विस्तार जो विवेकाधिकार के तहत दिया जाता है

धारा 61 (2);

(ख)

" उपलब्ध कराया "इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां अनिश्चित काल के लिए कर सकती हैं उन्हें एक मुफ्त प्रमाणित प्रति प्रदान किए जाने तक प्रतीक्षा करें। प्रमाणित प्रति के लिए समय पर आवेदन करना होगा।

यह निर्विवाद है कि एन. सी. एल. टी. का 31 दिसंबर 2019 का आदेश

((ग)

आदेश दिया गया और खुली अदालत में घोषित किया गया, जहां अपीलार्थी मौजूद था। प्रा. में एन. सी. एल. ए. टी. महानिदेशक

आय कर v. स्पार्टेक सेरामिक्स इंडिया लिमिटेड 1 5 ने माना है कि अपील दायर करने के लिए तीस दिनों की अवधि शुरू हो गई है।

आदेश के 'ज्ञान' की तारीख से;

एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 289 वी. नागराजन बनाम।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी का दावा कि एन. सी. एल. टी. का आदेश था

((घ)

केवल 20 मार्च 2020 को अपलोड किया गया अप्रमाणित है;

सीमा अधिनियम की धारा 12 निर्धारित करने में स्पष्ट है।

(ई)

कि निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन सीमा अवधि के भीतर दायर किए जाने के बाद ही सीमा अवधि का पता लगाया जा सकता है, ताकि इसे समयबद्ध घोषित न किया जा सके। सीमा की समय अवधि की गणना या तो आदेश की तारीख से की जा सकती है, 31

इस मामले में दिसंबर 2019, या उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करने की तारीख से। में दोनों में से किसी के
अनुपालन के अभाव में, कोई भी अपील होगी

सीमा द्वारा वर्जित माना जाता है;

एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 में निर्धारित किया गया है कि एक अपील

(च)

आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ होना। अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन नहीं किया। फिर भी, अपीलार्थी ने प्रमाणित प्रति या आवेदन दाखिल करने से छूट की मांग करने वाले आवेदन के बिना एक ऑनलाइन प्रति के आधार पर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील दायर की।

देरी को माफ करने की मांग

(जी)

अपीलार्थी को या तो मुफ्त प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के अनुसार एनसीएलटी से प्रमाणित प्रतिलिपि या सीमा अवधि के भीतर प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी जा सकती है

चुनिंदा रूप से एक प्रावधान के तहत आश्रय लें;

(ज)

आई. बी. सी. के तहत समय का महत्व है, जैसा कि इस द्वारा देखा गया है।

एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम में न्यायालय। की समिति

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड 1 के लेनदार और दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, 2015। आई. बी. सी. और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2015 विशेष हैं।

अधिनियम जिनकी आम तौर पर सख्त व्याख्या की गई है

सीमा अवधि; आई. बी. सी. के तहत पीड़ित पक्ष से परिश्रम की अपेक्षा की जाती है

((i)

जहाँ समय का महत्व है। सगुफा अहमद (ऊपर) एक समापन मामले के संदर्भ में था जो एक में काम करता है

आई. बी. सी. से अलग व्यवस्था;

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 707 ("एबिक्स सिंगापुर")

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1)

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड 1 7 इस न्यायालय ने अपील के संदर्भ में कहा,

कि आई. बी. सी. के तहत समयसीमा पवित्र है क्योंकि यह प्रक्रिया के सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है कि कंपनी का समाधान या परिसमापन एक समय में होता है।

बाध्य तरीके से और लंबा नहीं है; और

उत्तरदाता संख्या 1 और उत्तरदाता संख्या 10 अलग-अलग हैं।

(के)

विभिन्न प्रवर्तकों वाली संस्थाएं। कोई राहत नहीं मांगी गई

15 मार्च 2011 के एक समझौते के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दायर कंपनी याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 10 के खिलाफ, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 10 पक्षकार नहीं है। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने समवर्ती निष्कर्ष जारी किए हैं कि

प्रदर्शन गारंटी एक 'सुरक्षा हित' नहीं है जो है

आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन के अधीन। इसलिए, गुण-दोष में हस्तक्षेप का कोई आधार स्थापित नहीं किया जाता है।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।

सी विश्लेषण

8. शुरुआत में, जैसा कि पक्षों द्वारा स्पष्ट किया गया है, केवल सीमा के पहलू पर प्रस्तुतियाँ की गई हैं। इस न्यायालय का निष्कर्ष है

यह इस बात के निर्धारण तक सीमित है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 61 (1) के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 9. वर्तमान विवाद आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए लागू सीमा की अवधि पर उत्पन्न होता है। द.

सुनवाई के दौरान इस अदालत के समक्ष आई. बी. सी., कंपनी अधिनियम, सीमा अधिनियम, एन. सी. एल. टी. नियम और एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के प्रावधान रखे गए हैं। प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे

निकाला गया है और बदले में संदर्भित किया गया है। आई. बी. सी. एक पूर्ण कोड है। इसका एक प्रबल प्रभाव है, जैसा कि धारा 238 में कहा गया हैः

" 238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान। द.

इस संहिता के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे।

उस समय के लिए किसी अन्य कानून में निहित इसके साथ असंगत

बल में होना या किसी के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई उपकरण

ऐसा कानून "।

17 1 7 (2018) 1 एस. सी. सी. 353 ("मोबिलॉक्स इनोवेशन")

वी. नागराजन बनाम एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सीमा के विशिष्ट प्रश्न पर, आई. बी. सी. की धारा 238-ए सीमा अधिनियम को उस हद तक लागू करती है जब तक यह लागू होता हैः

" 238 - ए. सीमा। सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे। आई. बी. सी. के उपरोक्त खंडों को एक साथ पढ़ना होगा।

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के साथः

" 29. बचत।

(.....)

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए उस अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

अनुसूची द्वारा विहित, धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जब तक वे स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते हैं।

इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा बहिष्कृत।

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के मुख्य पहलू तीन गुना हैं-(i) किसी विशेष कानून या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का निर्धारण सीमा अधिनियम के तहत अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग हो सकता है; (ii) ऐसे मामले में, विशेष या स्थानीय कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को सीमा अधिनियम की धारा 3 के उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि माना जाएगा; और (iii) सीमा अधिनियम की धारा 3 तदनुसार लागू होगी।

10. वर्तमान अपील के निर्धारण के लिए, अपील दायर करने के लिए सीमा के प्रश्न का उत्तर प्रावधानों का अर्थ निकालकर देना होगा।

आई. बी. सी. और सीमा अधिनियम, जिसमें पूर्व अधिनियम का एक प्रबल प्रभाव है। इस स्थिति को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कल्पराज धर्मशी बनाम में भी अपनाया है। कोटक निवेश

एडवाइजर लिमिटेड आई. बी. सी. की धारा 61 (1) के तहत दायर अपील के लिए सीमा की गणना के लिए सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता पर विचार करने में।

11. एक अपील कानून का एक प्राणी है, इसलिए एक मौलिक है

मुकदमा दायर करने के अधिकार और अपील दायर करने के अधिकार के बीच अंतर।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के संदर्भ में, सिविल प्रकृति का मुकदमा लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है, जब तक कि मुकदमा क़ानून द्वारा वर्जित न हो। दूसरी ओर, एक अपील क़ानून का एक प्राणी है और उसके पास कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। आई. बी. सी. ने अध्याय VI में एक व्यापक विवाद समाधान प्रक्रिया की परिकल्पना की है। एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. की धारा 60 के तहत दिवाला समाधान के संबंध में किसी भी कार्यवाही पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के साथ सशक्त 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' है या

आई. बी. सी. के तहत परिसमापन कार्यवाही। आई. बी. सी. की धारा 61 (1) के तहत अपीलीय प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी. को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। एन. सी. एल. ए. टी. का एक आदेश धारा 62 के तहत उच्चतम न्यायालय में कानून के एक प्रश्न पर अपील के अधीन है। द.

दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को आई. बी. सी. की धारा 63 द्वारा स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी आई. बी. सी. के तहत पारित एन. सी. एल. टी. के आदेश से व्यथित था। अपील दायर करने का उनका अधिकार उत्पन्न हुआ

आई. बी. सी. की धारा 61 जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण। (1) इसके बावजूद

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निहित इसके विपरीत कुछ भी,

इस भाग के तहत राष्ट्रीय कंपनी को अपील करना पसंद कर सकते हैं। विधि अपीलीय न्यायाधिकरण।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील दायर की जाएगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण से तीस दिन पहलेः

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।

तीस दिनों की अवधि यदि यह संतुष्ट है कि पर्याप्त था

अपील दायर न करने का कारण लेकिन ऐसी अवधि नहीं होगी पंद्रह दिन से अधिक "।

(जोर दिया गया)

धारा 61 (2) विशेष रूप से तीस की सीमा अवधि का प्रावधान करती है।

दिन, जिसे देरी के लिए पर्याप्त कारण के प्रदर्शन पर अधिकतम पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। का संकल्प

19 गरिकापति वीराया बनाम। सुब्बैया चौधरी, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540; गंगा बाई बनाम। विजय कुमार, (1974) 2 एस. सी. सी. 393; अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1234 वी. नागराजन बनाम।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वर्तमान अपील दो मुद्दों पर निर्भर करेगीः ((i) घड़ी कब आएगी?

आई. बी. सी. के तहत दायर अपीलों के लिए सीमा अवधि की गणना करना; और (ii) आई. बी. सी. के तहत पारित आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. में अपील के लिए एक प्रमाणित प्रति का संयोजन अनिवार्य है। 12. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (ऊपर) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आई. बी. सी., सीमा अधिनियम और आई. बी. सी. की परस्पर क्रिया पर विचार किया।

एन. सी. एल. टी. का गठन करने वाला कंपनी अधिनियम और यह अभिनिर्धारित करता है कि सीमा अधिनियम आई. बी. सी. की धारा 238-ए के आधार पर कार्यवाही पर लागू होता है।

आई. बी. सी. एन. सी. एल. टी. के संदर्भ में न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने कहाः

" 12. [दिवाला कानून] समिति की रिपोर्ट [रिपोर्ट, मार्च 2018] से संकेत मिलता है कि उसने एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के फैसलों पर अपना दिमाग लगाया है। इसने इस पहलू पर भी अपना दिमाग लगाया है।
कि कानून एक पूर्ण संहिता है और यह तथ्य कि

इस तरह की संहिता समय की पाबंदी वाले ऋणों को नया जीवन देने के लिए नहीं हो सकती थी।

21. इस तथ्य को देखते हुए कि एन. सी. एल. टी. पर लागू होने वाली "प्रक्रिया" सीमा अधिनियम में निहित प्रक्रिया होगी, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. को संहिता के तहत किए गए आवेदनों पर उसी तरह निर्णय लेना होगा जैसे वह कंपनी अधिनियम के तहत अपने अन्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानून में स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जब कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान

संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया था, कंपनी अधिनियम की धारा 433 को संहिता में लागू करना और अनुकूलित करना अनावश्यक था, जैसा कि संहिता की विभिन्न अन्य धाराओं के लिए किया गया था।

कंपनी अधिनियम "।

13. एन. सी. एल. टी. का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 408 के तहत किया गया था और इसने पूर्ववर्ती कंपनी विधि बोर्डों को बदल दिया था। यह संदर्भ

आई. बी. सी. की धारा 5 (1) के तहत 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' की परिभाषा में भी प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम के अध्याय XXVII में नव स्थापित NCLT और NCLAT के कामकाज का विवरण दिया गया है, जिसमें उनके कामकाज को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं भी शामिल हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 433 इसी तरह एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान करती है। एनसीएलटी

कंपनी अधिनियम की धारा 469 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए इसके प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम और एन. सी. एल. ए. टी. नियम बनाए गए हैं। धारा 420 एन. सी. एल.

टी. के आदेशों से संबंधित है और धारा 420 (3) के तहत प्रत्येक पक्ष को एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती हैः

" 420. न्यायाधिकरण के आदेश। (1) न्यायाधिकरण, देने के बाद

इसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए पक्षकार, एक उचित अवसर सुना जाए तो उस पर ऐसे आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

(2) न्यायाधिकरण, तारीख से दो साल के भीतर किसी भी समय आदेश का, किसी भी स्पष्ट गलती को सुधारने की दृष्टि से

अभिलेख, उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन करेगा, और ऐसा करेगा

संशोधन, यदि गलती पक्षों द्वारा उसके ध्यान में लाई जाती हैः

आदेश जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपील की गई है। (3) न्यायाधिकरण पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति भेजेगा।

इस धारा के तहत सभी संबंधित पक्षों को।

(जोर दिया गया)

कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) की अवधि निर्धारित करती है -

एन. सी. एल. ए. टी. में अपील दायर करने के लिए अनुरोध और निर्दिष्ट करता है किउपयोग उस तारीख से किया जाएगा जब एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

ई व्यथित व्यक्ति ":

" 421. न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील। (1) कोई भी व्यथित व्यक्ति

न्यायाधिकरण के आदेश से अपीलीय याचिका दायर की जा सकती है।

न्यायाधिकरण।

(2) किसी आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं की जाएगी।

पक्षकारों की सहमति से न्यायाधिकरण द्वारा किया गया।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील दायर की जाएगी। उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि जिस पर एक प्रति

न्यायाधिकरण का आदेश व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है

व्यथित और ऐसे रूप में होगा, और साथ में होगा

ऐसी फीस, जो निर्धारित की जाए।

(जोर दिया गया)

एन. सी. एल. टी. नियमों का नियम 50 धारा 421 (3) को लागू करता है।

एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री को पक्षों को आदेश की एक मुफ्त आई. डी. प्रति साझा करने के लिए अनिवार्य करके पैनियों अधिनियमः

" 50. प्रमाणित प्रति भेजने के लिए रजिस्ट्री करें। - रजिस्ट्री एक भेजेगी

संबंधित पक्षों को मुफ्त में पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति

लागत और प्रमाणित प्रतियां लागत के साथ उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

शुल्क की अनुसूची के अनुसार, अन्य सभी मामलों में। वी. नागराजन बनाम

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14. सगुफा अहमद (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) की व्याख्या और क्या पीड़ित पक्ष के आवेदन के बिना, पक्ष को एक मुफ्त प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद सीमा शुरू हो जाएगी। इसने कंपनी अधिनियम के तहत एक समापन याचिका के संदर्भ में कहा कि पीड़ित पक्ष एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 420 (3) के तहत अपनी मुफ्त प्रति प्राप्त करने तक इंतजार कर सकता है और सीमा की गणना के उद्देश्यों के लिए प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति वी.

रामसुब्रमण्यन ने कहाः

" 12. इसलिए, यह सच है, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिया गया है, कि

धारा 421 (3) में निर्धारित 45 दिनों की सीमा की अवधि

केवल उस तारीख से चलना शुरू करें जिस दिन के आदेश की एक प्रति है

न्यायाधिकरण पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है। यह भी है

यह सच है कि नियम 50 के साथ पठित अधिनियम की धारा 420 (3) के तहत,

अपीलार्थी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के हकदार थे

निः शुल्क आदेश।

13. इसलिए यदि अपीलकर्ताओं ने एक प्रति दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना था

आवेदन, लेकिन एक मुफ्त प्रति की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने के लिए नियम 50 के साथ पठित धारा 420 (3) के संदर्भ में आदेश, वे

धारा 421 (3) पर वापस आने में पूरी तरह से उचित होगा,

तारीख तय करने के लिए जिससे सीमा शुरू होगी

दौड़ते हैं.. "

(जोर दिया गया)

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अब एक बार लागू नहीं होगा

एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जाता है और आदेश दिया जाता है

प्राप्त हुआ। चाहे मुफ्त प्रमाणित प्रति कब भी प्राप्त हो, तब प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से सीमा अवधि की गणना की जाएगी।

" 13 .... लेकिन इस मामले में अपीलकर्ताओं ने प्रमाणित आवेदन के लिए आवेदन करने का विकल्प चुना आदेश की घोषणा के 27 दिनों के बाद उनकी प्रतिलिपि

उपस्थिति और वे अब धारा 421 (3) पर वापस आते हैं।

14. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, हम पकड़ नहीं रखना चाहते हैं

अपीलार्थियों के विरुद्ध, यह तथ्य कि उन्होंने 25-10-2019 से प्रतीक्षा की

(आदेश की तारीख [सगुफा अहमद बनाम। ऊपरी असम प्लाईवुड

उत्पाद (पी) लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. टी. 749] एन. सी. एल. टी.) 21-11-2019 तक, एक प्रतिलिपि आवेदन करने के लिए। लेकिन कम से कम 19 [2021] 14 एस. सी. आर.

12-2019 , जिस तारीख को अपीलार्थियों के वकील द्वारा एक प्रमाणित प्रति स्वीकृत रूप से प्राप्त की गई थी, उस सीमा की अवधि को चलने से नहीं रोका जा सकता है। 19-12-2019, जिस तारीख को अपीलार्थियों के वकील को आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी, अपीलार्थियों के पास अपील दायर करने के लिए 45 दिनों की अवधि थी। यह अवधि 2-2-2020 पर समाप्त हो गई। "

एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सीमा की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के वैधानिक आदेश द्वारा नियंत्रित होती है जिसे एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पढ़ा जाता है, जो एक पक्ष को प्राप्त होने की तारीख से सीमा की गणना करने में सक्षम बनाता है। हालांकि, सगुफा अहमद (सुरपा) मामले में इस अदालत का निर्णय स्पष्ट करता है कि एक मुफ्त प्रति का वैधानिक अधिदेश वादियों को दो बार काटने में सक्षम बनाने के लिए नहीं है, जहां वे वादी के आवेदन पर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने या रजिस्ट्री से मुफ्त प्रति के रूप में प्राप्त होने पर सीमा की गणना कर सकते हैं-जो भी बाद में हो।

15. आई. बी. सी. अपने आप में एक पूर्ण कोड है और अन्य कानूनों के अनुप्रयोग में उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगतियों को दूर करता है। आई. बी. सी. की धारा 61, एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होती है-"कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निहित कुछ भी विपरीत के बावजूद" जब एक पीड़ित पक्ष को निर्धारित अवधि के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। के बीच उल्लेखनीय अंतर

कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) और आई. बी. सी. की धारा 61 (2) में "न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराने की तारीख से" शब्दों का अभाव है।

बाद वाला। इन शब्दों की अनुपस्थिति को केवल एक चूक के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे गणना सीमा के उद्देश्यों के लिए एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के तहत एक मुफ्त प्रति के अधिकार के साथ पूरक किया जा सकता है। यह संदर्भ की अनदेखी करेगा

आई. बी. सी. के प्रावधान और कानून का उद्देश्य।

16. आई. बी. सी. के संबंध में सीमा पर कानून तय किया गया है और देरी की निंदा में जोरदार है। देरी को माफ करने की शक्ति पूरी तरह से सीमित है और पर्याप्त कारण दिखाने पर सशर्त है, यहां तक कि

20 एस्सार स्टील (ऊपर), पैरा 119-123,127; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407, पैरा 13; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 194, पैरा 71 वी. नागराजन बनाम।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

देरी की अवधि के भीतर जिसे माफ किया जा सकता है। आई. बी. सी. एक वाटरशेड कानून है जो पिछली दिवालियापन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है जो देरी और अनिश्चित कानूनी कार्यवाही से पीड़ित थी। आई. बी. सी. ने दिवालियापन की शुरुआत से लेकर परिसमापन तक, दिवालियापन की पूरी प्रक्रिया को एक स्टॉप तंत्र के रूप में संरचना और सुव्यवस्थित करने की मांग की। आई. बी. सी. की धारा 12 (3) एक सौ अस्सी दिनों की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सख्त समय-सीमा निर्धारित करती है जिसे नब्बे दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान

धारा 12 (3) में कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय सहित तीन सौ तीस दिनों की बाहरी सीमा लगाई गई है। जबकि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। सतीश कुमार गुप्ता 2-1 गिरफ्तार

यह एक निकट निष्कर्ष पर है और आई. बी. सी. के अंत में कार्य करता है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 40 ए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत मॉडल समय-सीमा प्रदान करता है, जिसमें आईबीसी ढांचे की प्रक्रियात्मक संभावनाओं के तहत विवेकाधीन शक्तियों के रूप में दिए गए विस्तार भी शामिल हैं। समाधान पेशेवर प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और उसे कई फॉर्म दाखिल करने होते हैं, जैसा कि विनियमन 40 बी के तहत विस्तृत है, और आईबीसी की धारा 30 के तहत एक सफल समाधान योजना जमा करने पर अंतिम फॉर्म एच 22 दाखिल करते समय मध्यवर्ती अवधि में होने वाली सभी देरी की व्याख्या करनी होती है। उल्लेखनीय है कि आई. बी. सी. की धारा 6423 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. पर अपने समक्ष लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का दायित्व लगाती है। 21 (2020) 8 एस. सी. सी. 531 22 विनियम 39 (4) (बी), भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016

23 " 64. आवेदनों का शीघ्र निपटान। (1) जहां इस संहिता में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है या कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा नहीं करने के कारणों को दर्ज करेगा; और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है, लेकिन दस दिनों से अधिक नहीं।

(2) इस संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

निर्धारित सीमा से लेकर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. तक किसी भी देरी के कारणों को दर्ज करना, जो तब अवधि बढ़ा सकते हैं, न कि दस दिन। मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (ऊपर) में निर्णय,इस प्रावधान पर ध्यान दें और समय-सीमा के महत्व पर जोर दिया

नीचे दिए गए शब्दः

" 35. एक और महत्वपूर्ण बात समय-सीमा है जिसके भीतर

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जानी है। निगम ने

देनदार को मांग सूचना या चालान की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन का समय दिया जाता है ताकि या तो यह इंगित किया जा सके कि पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद है या उसने तब से अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान कर दिया है। यदि दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो एक बार दायर किए गए आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर या तो स्वीकार करके या अस्वीकार करके निपटाया जाना चाहिए। तब एक अपील दायर की जा सकती है

अधिनियम की धारा 61 के तहत 30 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण

15 के विस्तार के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश

और दिन और अधिक नहीं।

36. संहिता की धारा 64 में कहा गया है कि जहां ये समयसीमाएँ हैं

न्यायाधिकरण या अपीलीय द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है

न्यायाधिकरण, वे ऐसा नहीं करने के कारणों को दर्ज करेंगे

इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि और इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि को 10 दिनों से अधिक की किसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाएँ। यहां तक कि धारा 62 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण से उच्चतम न्यायालय में अपील में भी 45 दिनों का समय लगता है।

अपीलीय आदेश की प्राप्ति की तारीख से दिया जाता है

न्यायाधिकरण जिसमें उच्चतम न्यायालय में अपील की जानी है,

15 दिनों से अधिक की अतिरिक्त छूट अवधि के साथ। सख्त

इन समयसीमाओं का पालन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है

प्रक्रिया और दिवाला समाधान प्रक्रिया। जैसा कि हमने देखा है,

संहिता के लागू होने का एक प्रमुख कारण था -

क्योंकि परिसमापन की कार्यवाही अंतहीन रूप से चलती रही, जिससे

एक अवज्ञाकारी को छोड़कर सभी हितधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाना।

प्रबंधन जो कंपनी को बनाए रखना जारी रखेगा

अपने ऋण का भुगतान किए बिना। न्यायाधिकरण और अपीलीय दोनों

न्यायाधिकरण को इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखना अच्छा होगा।

संहिता द्वारा प्राप्त किया जाएगा और उस समय सीमा का सख्ती से पालन करेगा जिसके भीतर उन्हें संहिता के तहत मामलों का निर्णय लेना है।

हाल ही में, एबिक्स सिंगापुर में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने

क) आई. बी. सी. की विधायी पृष्ठभूमि, इसके प्रावधानों की व्याख्या की।

वी. नागराजन बनाम पर जोर देने के लिए संसदीय समितियों से बाद की रिपोर्ट।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पूर्वानुमान और समयबद्धता जो आई. बी. सी. के डिजाइन में बुनी गई है। हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय ने कहाः

" 96 बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवालिया व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होना था क्योंकि भारत में वसूली दर दुनिया में सबसे कम थी-58 और एक असफल समाधान की स्थिति में उच्च वसूली दर और तत्काल परिसमापन सुनिश्चित करने के लिए इसके अंतर्निहित डिजाइन में गति और भविष्यवाणी के साथ एक संशोधित, सुसंगत संहिता की परिकल्पना की गई थी। जैसा कि इस न्यायालय ने एस्सार स्टील (उपरोक्त) मामले में उल्लेख किया है, एस. आई. सी. ए., एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. और ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के बाद भारत में दिवाला व्यवस्था में बदलाव किया गया था।

शीघ्र निर्धारण के प्रावधान के बावजूद, चूक करने वाली कंपनियों द्वारा विस्तारित अधिस्थगन अवधि का आनंद लेने के लिए उपयोग किया गया था और समय सीमा को लागू करने में विफलता का मतलब था कि कानूनी कार्यवाही को खींचना होगा

वर्षों तक और इसके परिणामस्वरूप तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली नहीं होती है। देरी के स्रोतों की पहचान करने में, निर्णय लेने के तंत्र की पहचान देरी के दो महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में की गई थी।

सही संसाधनों से लैस होने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलावों का जवाब देने के लिए, बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट

एक आई. बी. बी. आई. के गठन की सिफारिश की जो एक नियामक के रूप में कार्य करेगा और ऐसे नियम बनाएगा जो आवश्यक तात्कालिकता के साथ आई. बी. सी. के काम करने के प्रक्रियात्मक मानदंडों को गतिशील रूप से विस्तार से बताते हैं। संवैधानिक रूप से यह इस न्यायालय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्राधिकरण जो आई. बी. सी. ढांचे से संबंधित कानून के प्रश्नों को निर्धारित करता है, यह ध्यान में रखने के लिए कि कभी-कभी तेजी से परिसमापन हो सकता है

लंबे समय तक चलने वाले सी. आई. आर. पी. से बेहतर है।

17. इस पृष्ठभूमि में, जब कानूनी कार्यवाही पर भी समय सीमा निर्धारित की जाती है, तो "आदेश दिए जाने" की आवश्यकता को पढ़ा जाता है।

एक सामान्य अधिनियम (कंपनी अधिनियम) के तहत उपलब्ध "आई. बी. सी. के तहत अधिनियमित विशेष प्रावधानों के लिए हिंसा करेगा जहां तंत्र की कार्यशीलता, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, सुधार के लिए समय महत्वपूर्ण है।

ऋणदाताओं की दर और निगमित देनदार का मूल्यांकन। आई. बी. सी., एक निर्देशात्मक तंत्र के रूप में, हितधारकों के अधिकारों को प्रभावित करता है जो नहीं हैं

अनिवार्य रूप से कार्यवाही के पक्षकार, उन आवेदकों की ओर से परिश्रम को अनिवार्य करते हैं जो अपने मुकदमे के परिणाम से व्यथित हैं। एक अपील, यदि एक पीड़ित पक्ष द्वारा आवश्यक और समीचीन मानी जाती है, तो एक मुफ्त प्रति की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत दायर किए जाने की उम्मीद की जाती है जो एक अनिश्चित

स्तर पर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, तारीख [2021] 14 एस. सी. आर. से "शब्दों को हटा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस पर आदेश "गणना के उद्देश्यों के लिए" उपलब्ध कराया जाता है

आई. बी. सी. की धारा 61 (2) में सीमा का प्रावधान, पार्टियों को सक्रिय होने और समय पर समाधान करने के लिए प्रेरित करने के लिए विधायिका के इरादे का एक सुसंगत संकेत है।

18. इसके विरुद्ध अपील दायर करने के लिए प्रमाणित प्रति के प्रश्न पर

आई. बी. सी., एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि 'आक्षेपित आदेश' की प्रमाणित प्रति के साथ एक अपील दायर की जानी चाहिए:

" 22. अपील प्रस्तुत करना। - (1) प्रत्येक अपील प्रस्तुत की जाएगी।

अपीलार्थी या याचिकाकर्ता द्वारा प्रपत्र एन. सी. एल. ए. टी.-1 में तीन बार

आवेदक या प्रत्यर्थी, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत नियुक्त विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि

फाइलिंग काउंटर पर निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र और गैर

इसका अनुपालन करने से इनकार करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है

उसी तरह मनोरंजन करें।

(2) प्रत्येक अपील के साथ एक प्रमाणित प्रति होगी।

विवादित आदेश "।

(जोर दिया गया)

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्ष स्वचालित रूप से कर सकते हैं

अपील दायर करने के लिए आवेदन करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के अपने दायित्व को समाप्त करें। एक बार आवेदन दायर किए जाने के बाद, प्रमाणित प्रति की प्राप्ति में किसी भी देरी की परिकल्पना विधायिका द्वारा की गई है और वादी के अपील करने के अधिकार पर कोई पूर्वाग्रह न पैदा करने के लिए विधिवत रूप से बाहर रखा गया है।

19. सीमा अधिनियम की धारा 12 के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है

सीमा की अवधि की गणना करना और किसी पक्ष द्वारा उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए लिए गए समय को बाहर करना जो वह अपील करना चाहता है। हालांकि, स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा एक प्रति के लिए आवेदन दायर करने से पहले आदेश तैयार करने में अदालत द्वारा लिया गया समय है

सीमा की गणना से बाहर नहीं किया गयाः

" 12. कानूनी कार्यवाही में समय का बहिष्करण। (1) कम्प्यूटिंग में किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए सीमा की अवधि, वह दिन

जिस अवधि से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उसे बाहर रखा जाएगा। (2) किसी अपील के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में या

अपील करने या पुनरीक्षण या पुनरीक्षण के लिए अनुमति के लिए आवेदन

एक निर्णय का, जिस दिन निर्णय ने शिकायत की थी

की घोषणा की गई थी और वी नागराजन बनाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय।

एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

या से अपील की गई डिक्री, सजा या आदेश की प्रति

संशोधित या समीक्षा किए जाने की मांग को बाहर रखा जाएगा। (3) जहाँ किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की जाती है या करने की मांग की जाती है

संशोधित या समीक्षित, या जहाँ छुट्टी के लिए आवेदन किया जाता है

एक डिक्री या आदेश से अपील, एक प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय

निर्णय 3 [* * *] की प्रति को भी बाहर रखा जाएगा।

(4) निर्धारित करने के लिए एक आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना में

एक पुरस्कार को अलग करते हुए, इसकी एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय

पुरस्कार को बाहर रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण। — इस खंड के तहत गणना में समय किसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक, कोई भी

अदालत द्वारा डिक्री या आदेश तैयार करने के लिए लिया गया समय

उसकी प्रति के लिए आवेदन किए जाने से पहले

बहिष्कृत किया जाए "।

(जोर दिया गया)

सीमा अधिनियम की धारा 12 का महत्व और इसका स्पष्टीकरण

आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी किसी पक्ष को सौंपना है। अपील दायर करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सीमा अवधि की समाप्ति से पहले एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करे, जिस पर एक प्रति प्राप्त करने के लिए "आवश्यक समय" को बाहर रखा जाना है। हालाँकि, प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने से पहले डिक्री या आदेश तैयार करने के लिए अदालत द्वारा लिए गए समय को बाहर नहीं किया जा सकता है। यदि प्रमाणित प्रति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो कोई बहिष्करण नहीं हो सकता है। वास्तव में, प्रावधान का स्पष्टीकरण कानूनी स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक है कि अदालत द्वारा डिक्री या आदेश तैयार करने के लिए जो समय लिया जाता है, उसे एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन से पहले बाहर नहीं किया जा सकता है

बनाया गया। यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 420 (3) के तहत मुफ्त प्रति प्राप्त करने के अधिकार ने अपीलार्थी पर आवेदन के माध्यम से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के दायित्व को समाप्त कर दिया है। अपीलार्थी ने आग्रह किया है कि एन. सी. एल. ए. टी. नियमों का नियम 1424 एन. सी. एल. ए. टी. को पर्याप्त न्याय के हित में किसी भी नियम की आवश्यकता के अनुपालन से पार्टियों को छूट देने का

अधिकार देता है, जिसका उपयोग आमतौर पर एक प्रमाणित प्रति के बदले डाउनलोड की गई प्रति की अनुमति देने के पक्ष में किया जाता है। जबकि 24 " 14. छूट देने की शक्ति। - अपीलीय न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, पक्षों को इन नियमों की किसी भी आवश्यकता के अनुपालन से छूट दे सकता है और व्यवहार और प्रक्रिया के मामलों में ऐसे निर्देश दे सकता है, जो वह पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए इस ओर से दायर आवेदन पर न्यायसंगत और समीचीन माने।

यह अच्छी तरह से सच हो सकता है कि प्रमाणित प्रति के साथ अपील दायर करने पर छूट अक्सर न्यायिक निर्धारण के उद्देश्यों के लिए दी जाती है, वे एक आवेदक को अनुपालन को समाप्त करने और एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) को निरर्थक बनाने का स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करने का कार्य केवल सीमा की गणना के लिए एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय पर मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में पीड़ित पक्ष की परिश्रम का भी संकेत है। इसी तरह के तथ्यात्मक परिदृश्य में, एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत वर्जित समय के रूप में एक अपील को खारिज कर दिया था क्योंकि उसमें अपीलकर्ता मौजूद था।

20. अपीलार्थी ने तर्क दिया था कि एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश में कहा गया है कि एन. सी. एल. टी. रजिस्ट्री ने सीमा के संबंध में अपील पर आपत्ति जताई थी, जिस पर अपीलार्थी ने यह कहते हुए जवाब दायर किया था कि सीमा अवधि आदेश अपलोड करने की तारीख से शुरू होगी, जो 12 मार्च 2020 थी। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 15 मार्च 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेते हुए इस न्यायालय के 23 मार्च 2020 के स्वतः संज्ञान आदेश ने सीमा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया, जो 8 जून 2020 को दायर अपील को सीमा के भीतर प्रस्तुत करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने केवल उन मामलों में कार्यवाही में लागू सीमा की अवधि को बढ़ाया था, जहां ऐसी अवधि 15 मार्च 2020 से पहले समाप्त नहीं हुई थी। इस मामले में धारा 61 (1) और 61 (2) की विशिष्ट भाषा के कारण यह स्पष्ट है कि सीमा यदि अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया होता, तो आदेश की घोषणा के बाद शुरू किया गया और न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए लिए गए समय को बाहर रखा जाता, जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) में स्पष्ट किया गया है। 12 मार्च 2020 को अपलोड किए गए एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के असंभव कार्य के बारे में अपीलार्थी का आरोप है कि कानून का निर्माण बेतुका नहीं है। हालाँकि, कानून का अधिदेश इस पर एक दायित्व लागू करना है

अपीलार्थी एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के आधार पर 31 दिसंबर 2019 को एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश घोषित होने के बाद प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगा। यदि अपीलार्थी अपने इस दावे में सही था कि आदेश की सही प्रति नहीं थी

20 मार्च 2020 तक उपलब्ध, अपीलार्थी को एक पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा

25 प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) 2017 का 223 (एनसीएलएटी, 26 मार्च 2018)

वी. नागराजन बनाम एसकेएस आईएसपीएटी एंड पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ऐसी तारीख तक आवेदन के बावजूद प्रमाणित प्रति और तदनुसार इस न्यायालय के स्वतः संज्ञान आदेश का लाभ प्राप्त किया जो आया था

15 मार्च 2020 को प्रभावी। हालांकि, एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन के अभाव में, धारा 61 (2) के तहत अनुमेय पंद्रह दिनों की माफी को ध्यान में रखने के बाद भी, इस अदालत के स्वतः संज्ञान निर्देश से बहुत पहले अपील को सीमित कर दिया गया था। न्यायालय को सीमा का प्रावधान रखने वाले विशेष कानूनों में वैधानिक प्रिस्क्रिप्शनों से परे देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है।

डी निष्कर्ष

21. निर्णय की धारा सी में निर्धारित दो मुद्दों का उत्तर-(i) आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अवधि की गणना करने का समय कब चलेगा; और (ii) पारित आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. में अपील के लिए एक प्रमाणित प्रति का अनिवार्य विलय है।

एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) की आवश्यकताओं के अनुरूप। सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) उस डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को हटाने की अनुमति देती है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। आई. बी. सी. के तहत आदेश से व्यथित व्यक्ति के लिए इसकी प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। एन. सी. एल. टी. के नियम 50 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 420 (3) के तहत एक मुफ्त प्रमाणित प्रति की प्राप्ति और सीमा को चलने से रोकना। इस तरह के निर्माण को स्वीकार करने से आई. बी. सी. की समयबद्ध रूपरेखा बिगड़ जाएगी। वादी को तीस दिनों के भीतर अपनी अपील दायर करनी होती है, जिसे पर्याप्त कारण दिखाने पर पंद्रह दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और इससे अधिक नहीं। प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या का उपयोग किसी ऐसे कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसका किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

26 भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470; सिंह एंटरप्राइजेज बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर, (2008) 3 एस. सी. सी. 70; छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, (2010) 5 एस. सी. सी. 23; बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बनाम। कल्याण चौधरी (2018) 3 एस. सी. सी. 41 [2021] 14 एस. सी. आर.

22. दूसरे प्रश्न पर, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) में प्रमाणित प्रति को एक अपील के साथ संलग्न करने का आदेश दिया गया है, जो वादियों को आई. बी. सी. के तहत बाध्य करता है। हालांकि यह सच है कि न्यायाधिकरण, और यहां तक कि यह न्यायालय भी, पर्याप्त न्याय के हित में इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता के अनुपालन से पक्षों को छूट देने का विकल्प चुन सकता है, जैसा कि एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 14 में दोहराया गया है, विवेकाधीन छूट एक स्वचालित अपवाद के रूप में कार्य नहीं करती है जहां वादी अपनी शिकायत का समय पर समाधान करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। अपीलार्थी एक प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने में विफल रहने के कारण, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपील को स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित कर दिया। 23. अपीलार्थी 31 दिसंबर 2019 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष उपस्थित था जब अंतरिम राहत और विविध आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

बर्खास्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया है और वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने की तारीख (12 मार्च 2020) पर भरोसा किया है। की अवधि

एन. सी. एल. टी. के 31 दिसंबर 2019 के आदेश के खिलाफ धारा 61 (1) के तहत अपील दायर करने की सीमा, धारा 61 (2) के तहत निर्धारित तीस दिन की अवधि को देखते हुए 30 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई। धारा 61 (2) के प्रावधान के तहत निर्धारित पंद्रह दिनों की बाहरी सीमा को देखते हुए देरी को माफ करने की कोई भी गुंजाइश 14 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई। कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से लागू लॉकडाउन और इस न्यायालय के स्वतः संज्ञान आदेश का अपीलार्थी के इस कार्यवाही और एन. सी. एल. ए. टी. में अपील करने के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सीमा पर अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है। तदनुसार, आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत वर्तमान अपील खारिज हो जाती है।

24. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाता है। कोई ऑर्डर नहीं

लागतों के लिए।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे